क्रम-संख्या-205

रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी०-11/लाई०-
न्यूज पेपर/91/05-06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 3 अगस्त, 2007

श्रावण 12, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1437/79-वि-1-07-1(क)17-2007
लखनऊ, 3 अगस्त, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 2 अगस्त, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2007]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 2 जून, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2000 की धारा 23 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 23 में,—

(क) उपधारा (2) में शब्द "कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार की पूर्व अनुमति/अनुमोदन से" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (8) और (9) में शब्द "कुलाधिपति" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2007) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2000) की धारा 23 की उपधारा (2) में व्यवस्था थी कि कार्य परिषद्, कुलाधिपति की पूर्व मंजूरी से सम्बद्धता की ऐसी शर्तों को, जो विहित की जायें, पूरा करने वाले विद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगी या पहले से ही सम्बद्ध किसी विद्यालय के विशेषाधिकार को बढ़ा सकेगी या किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसमें कमी कर सकेगी। तत्कालीन प्रक्रिया के अनुसार विद्यालय को सम्बद्धता या विशेषाधिकार प्रदान करने से सम्बन्धित प्रस्ताव उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा कुलाधिपति कार्यालय एवं राज्य सरकार को प्रेषित किया जाता था और राज्य सरकार के स्तर पर विश्वविद्यालय के प्रस्ताव का परीक्षण किया जाता था और तत्पश्चात् विद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने या न करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव कुलाधिपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था, चूंकि विश्वविद्यालय के प्रस्ताव का प्रारम्भिक परीक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता था, अतः यह आवश्यक समझा गया कि सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर ही सम्पन्न की जाय। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि सम्बद्धता के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर ही सम्पन्न किये जाने की व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कायवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया था।

इसके पश्चात यह विनिश्चय किया गया कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधाराओं (8) और (9) को संशोधित करके शब्द "कुलाधिपति" के स्थान शब्द "राज्य सरकार" भी रख दिये जायेंगे।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को उपर्युक्त उपान्तरों सहित प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG–1

No. 1437/LXXIX–V–1–07–1(Ka)17-2007
Dated Lucknow, August 3, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Pravidhik Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 2, 2007.

THE UTTAR PRADESH TECHNICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2007

[U.P. ACT NO. 19 OF 2007]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Technical University Act, 2000.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 2, 2007.

Amendment in section 23 of U.P. Act no. 23 of 2000

2. In section 23 of the Uttar Pradesh Technical University Act, 2000 hereinafter referred to as the principal Act,–

(a) in sub-sections (2) *for* the words "with the previous sanction of the Chancellor" the words "with the previous premission/approval of the State Government" shall be *substituted;*

(b) in sub-sections (8) and (9) *for* the word "Chancellor" the words "State Government" shall be *substituted.*

U.P. Ordinance no. 1 of 2007

Repeal and savings

3. (1) The Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Ordinance, 2007 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Sub-section (2) of section 23 of the Uttar Pradesh Technical University Act, 2000 provided that the Executive Council may with the previous sanction of the Chancellor, admit any college which fulfils such conditions of affiliation, as may be prescribed, to the privileges of affiliation or enlarge the privileges of any college already affiliated or withdraw or curtail any such privilege. In accordance with the their procedure the proposal for admission of any college to the privileges of affiliation was sent to the

Chancellor's office and the State Government by the Uttar Pradesh Technical University and the proposal of the University was examined at the State Government level and thereafter the proposal for admitting or not admitting the college to the privileges of affiliation was submitted to the Chancellor. Since proposal of the University was initially being examined by the State Government it was considered necessary that all actions with respect to the grant of affiliation should be done at State Government level. It was, therefore, decided to amend the said Act to provide for disposal of all proceedings with respect to the affiliation at the State Government level.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 1 of 2007) was promulgated by the Governor on June 2, 2007.

Thereafter it has been decided that the word "Chancellor" shall also be replaced by the the words "State Government" by amending sub-section (8) and (9) of section 23 of the aforesaid Act.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance with the modification as aforesaid.

By order,

P.V. KUSHWAHA,

Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 333 राजपत्र–(हि०)–(903)–2007–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 181 सा० विधायी–(904)–2007–850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।